# संपादकीय जागरण

सोमवार, 20 नवंबर, 2017 : मार्गशीर्ष शुक्ल 2 वि. 2074

चरित्र वृक्ष है और प्रतिष्ठा छाया


## स्कूली शिक्षा की बदहाली

**भारत में** स्कूली शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रपट पर सरकार को उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि उसने हाल ही में आई मूडीज की रपट पर दिया। सच तो यह है कि प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थाओं के ऐसे हर अध्ययन पर गंभीरता प्रदर्शित की जानी चाहिए जो किसी भी क्षेत्र में भारत की स्थिति पर अपना आकलन पेश करते हैं। इस संदर्भ में यह कोई छिपी बात नहीं कि वैश्विक संस्थाओं के ऐसे कई अध्ययन हैं जो यह बताते रहते हैं कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। इस मामले में मानव सूचकांक संबंधी रपट भी उल्लेखनीय है और कुपोषण की स्थिति को बयां करने वाली ग्लोबल हंगर रपट भी। दरअसल जब हमारे नीति-नियंता इस तरह की रपटों पर गंभीरता प्रदर्शित करेंगे और तंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे तभी वांछित परिणाम सामने आएंगे। वैश्विक संस्थाओं की रपटों पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि इनमें भारत की जो तस्वीर पेश की जाती है उससे ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक हद तक देश की छवि का निर्माण होता है। शिक्षा में सुधार के मामले में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही अनेक आश्वासन दिए थे। इन आश्वासनों के अनुरूप काफी कुछ हुआ भी है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

समस्या केवल यह नहीं है कि स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा सके हैं, बल्कि यह भी है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में भी वांछित सफलता नहीं मिल सकी है। परिणाम यह है कि उद्योग-व्यापार जगत एवं समाज को जैसे उच्च शिक्षित युवाओं की आवश्यकता है वैसे युवा शिक्षा संस्थानों में नहीं निकल पा रहे हैं। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा में सुधार के लिए भी तेजी के साथ ठोस कदम उठाने होंगे। चूंकि शिक्षा केंद्र एवं राज्यों के अधिकार वाला विषय है इसलिए चीजें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं जितनी बढ़नी चाहिए। यह ठीक नहीं कि शिक्षा में अपेक्षा के अनुरूप सुधार इसलिए न हो पाए, क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा यह होगा कि केंद्र और राज्य इस पर विचार करें कि शिक्षा के मामले में दोनों मिलकर आगे कैसे बढ़ें। इस मामले में ढिलाई के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। निःसंदेह यूनेस्को की रपट उन तमाम बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करती है जिन पर गौर किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके इस आकलन से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि स्कूली शिक्षा की मौजूदा स्थिति के लिए अकेले शिक्षक उत्तरदायी नहीं हैं। निःसंदेह सारी जिम्मेदारी शिक्षकों पर नहीं छोड़ी जा सकती, लेकिन यह भी सही है कि शैक्षिक स्तर में सुधार की रीढ़ तो शिक्षक ही हैं। यदि शिक्षक अपने दायित्व की महत्ता को समझें तो वे अपने बलबूते शैक्षिक परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। देश के सामने इसके कई उदाहरण भी हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस समय शिक्षकों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति उतना सजग-सचेत नहीं जितना उसे होना चाहिए।

## बुझेगी प्यास

**बुंदेलखंड में** संभावित सूखे की समस्या से निपटने के लिए बुंदेलखंड निधि के तहत हर जिले को पांच करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी गई है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने इस धनराशि का पारदर्शिता से उपयोग के लिए एक सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर काम करने का जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। आदेश के तहत बुंदेलखंड की अपूर्ण पेयजल योजनाओं को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर उन्हें 30 दिसंबर तक पूरा किया जाना है। जिलाधिकारियों से कहा है कि वे अपने जिले में सिंचाई और पेयजल के नलकूपों के चालू होने के बारे में अभियंताओं से प्रमाणपत्र जरूर प्राप्त कर लें। निर्माणाधीन परियोजनाओं में 80 फीसद तक पूर्ण हो चुके कार्यों की नियमित समीक्षा कर परियोजनाओं को जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया है।

> सरकार, मशीनरी, संसाधन, नीयत और जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। योगी सरकार यही कर रही है

सरकार बुंदेलखंड में संभावित सूखे से निपटने के लिए जिस नीयत और जज्बे से काम कर रही है यदि सबकुछ ठीक रहा तो वहां सूखे की समस्या बीते दिनों की बात बन जाएगी। वस्तुतः पिछली सरकारों में यदि यही सक्रियता दिखी होती तो यह समस्या ही नहीं होती। सूखा पड़ने पर बुंदेलखंड में कुएं, तालाब, पोखरे आदि जवाब दे जाते हैं। गांवों में बनी पानी की टंकियां चिढ़ाती सी नजर आती हैं। वास्तव में सरकार, मशीनरी, संसाधन, नीयत और जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। योगी सरकार यही कर रही है। इतने बड़े प्रदेश की क्षेत्रवार समस्या के समाधान के लिए उस समस्या का चिह्नीकरण, निपटने की कार्ययोजना और निगरानी एवं समीक्षा का जो तौर तरीका सरकार ने अपनाया है, वह बुंदेलखंड में पानी की ही समस्या को ही नहीं, अन्य क्षेत्रों की दूसरी समस्याओं के भी समाधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बुंदेलखंड में पानी की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार काम कर रही है। ताकि यह क्षेत्र प्यासा न रहे और लोगों को पानी की कमी के चलते घर-बार छोड़कर पलायन को मजबूर न होना पड़े।

### कह के रहेंगे

माधव जोशी




### जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या मूडीज द्वारा भारत की रेटिंग बेहतर करना मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों पर मुहर है?**




**आज का सवाल**

क्या सेंसर बोर्ड की मंजूरी से पहले चुनिंदा लोगों को फिल्म दिखाना उचित है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
**Y** –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# इतिहास का विकृत कल्पनालोक




हृदयनारायण दीक्षित


**अलाउद्दीन वास्तव में बर्बर अत्याचारी था। उसके हृदय में न्याय के लिए कोई जगह नहीं थी। भंसाली ने फिल्म बनाते हुए इन तथ्यों को जरूर पढ़ा होगा**

कलाएं रसरंजन और आनंदवर्धन के लिए होती हैं। आनंद सृजन और लोकमंगल ही कला के उद्देश्य हैं। अरस्तु के विवेचन में 'कला प्रकृति की अनुकृति है।' 'अनुकृति' की रक्षा सर्जक का कर्त्तव्य है। बेशक वह आनंद सृजन के लिए कल्पनालोक गढ़ने में स्वतंत्र है, लेकिन उस पर इतिहास और लोकमर्यादा की सीमा के बंधन हैं। कल्पित कथा में भी सत्यनिष्ठा भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में कला का नीति निदेशक तत्व है। भारतीय सिनेमा का पूर्वार्ध ऐसा ही रहा है, लेकिन इधर के बीसेक वर्ष से सिने कला भी कौशल हो रही है। यहां फैंटेसी है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी है। संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावती' ऐसी ही वजहों से बड़े विवाद में है। भंसाली की प्रतिभा प्रशंसनीय है। 'देवदास' और 'हम दिल दे चुके सनम' जैसी फिल्मों ने खासी लोकप्रियता पाई थी। लेकिन लोगों को संदेह है कि उन्होंने पद्मावती की वीरता और नायकत्व को सही रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने तत्कालीन सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत के बहुसंख्यकों पर किए गए अत्याचारों के इतिहास की भी उपेक्षा की। इतिहास का मध्यकाल भारत के तन मन को तोड़ने की व्यथा कथा है। इस कथा के तथ्य विदेशी शासकों के रक्त चरित्र का दस्तावेज हैं। फिल्म का विवाद पिछले दो सप्ताह से राष्ट्रीय चर्चा में है। पहले भंसाली इस विवाद से खुश रहे होंगे। विवाद से दर्शक संख्या बढ़ती है। लेकिन विवाद बढ़ता गया। प्रदर्शन हुए, जुलूस निकले। तमाम तीखे प्रतिवाद हुए। वादी भंसाली शांत रहे, प्रतिवादी बिना फिल्म देखे ही उग्र होते रहे। लेकिन भंसाली ने विवाद में अपनी सफलता देखी। पानी सिर से ऊपर निकला तो उन्होंने कुछ चुने हुए लोगों को फिल्म दिखाई। ऐसे महानुभावों ने समाचार माध्यमों में फिल्म के सकारात्मक पहलू पर टिप्पणियां भी कीं। लेकिन ऐसे लोगों की टिप्पणियों के अपने दृष्टिकोण होते हैं। जनभावना और दृष्टिकोण में हमेशा अंतर होते हैं। उनके कथन शील और मर्यादा का प्रमाण नहीं भी हो सकते हैं। इस बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी ने सेंसर प्रमाण पत्र बिना ही कुछ लोगों को फिल्म दिखाने पर नाराजगी जाहिर की है। इसका नतीजा यही निकला कि निर्माताओं ने स्वेच्छा से फिल्म की रिलीज टाल दी है। दोनों पक्ष मोर्चे पर हैं। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य इस विवाद से कठिनाई में हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आवश्यक बदलाव के बाद ही फिल्म दिखाने पर जोर दिया है। आश्चर्य है कि 'भावप्रवणता' का ही व्यापार करने वाले सिने जगत के लोग यथार्थ जीवन की 'भावप्रवणता' का मतलब क्यों नहीं जानते?

इतिहास बोध राष्ट्र निर्माण का मुख्य सूत्र है। अलाउद्दीन खिलजी हुकूमत का समय सिर्फ सात सौ साल पुराना है। विवादित फिल्म की कथा इसी हुकूमत का एक अंश है। खिलजी हुकूमत की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी से हुई। उनके पूर्वज तुर्किस्तान से भारत आए थे। उन्होंने सुल्तानों के यहां नौकरी की। जलालुद्दीन को सैन्य कुशलता के कारण 'शाईस्ताखां' की पदवी मिली। वह सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी इसी सुल्तान फिरोज का भतीजा और दामाद था। वह इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) के निकट कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने 1292 में मालवा पर हमला किया। भयंकर रक्तपात के बाद भारी लूट की। वह अवध का सूबेदार बनाया गया। उसने 1294 में देवगिरि पर हमला किया। अपार धन लूटा। इसी धनराशि को देने के बहाने उसने ससुर सुल्तान फिरोज को मानिकपुर बुलाया और मार दिया।



अवधेश राजपूत

वह जुलाई 1296 में सुल्तान बना। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. एएल श्रीवास्तव ने 'भारत का इतिहास' में लिखा है 'हिंदुओं का दमन करने की उसकी नीति क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं, अपितु निश्चित विचारधारा का अंग थी।' सर वूज्ले हेग ने लिखा है 'हिंदू संपूर्ण राज्य में दुख और दरिद्रता में डूब गए।' इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि समाज के प्रतिष्ठित लोग 'अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे।' इतिहासकार वीए स्मिथ ने लिखा 'अलाउद्दीन वास्तव में बर्बर अत्याचारी था। उसके हृदय में न्याय के लिए कोई जगह नहीं थी।' भंसाली ने इन तथ्यों को जरूर पढ़ा होगा।

इतिहास का आदर्श सत्य है और बाजार का सत्य मुनाफा। इतिहास यह है कि बर्बर सुल्तान ने 28 जनवरी, 1303 के दिन चित्तौड़ को घेर लिया। कहा जाता है कि उसके आक्रमण का उद्देश्य राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी को पाना था। इस पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। डॉ. केएस लाल व हीरा चंद्र ओझा आदि ने इसे सही नहीं माना। सुल्तान को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अमीर खुसरो ने पूरा युद्ध देखा था। उसने लिखा है कि केवल एक दिन में तीस हजार राजपूत मारे गए थे। सुल्तान ने भयंकर रक्तपात किया। विजय के बाद उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा। रानी पद्मावती भी युद्ध में शामिल थीं। उन्होंने हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ 'जौहर' बलिदान किया। यह बात अलग है कि रानी पद्मावती इतिहास की पात्र हैं या नहीं, लेकिन भारत में वह श्रद्धा की पात्र हैं। इन्हीं पर कवि जायसी ने प्रेम काव्य पद्मावत लिखा। कथानक खुसरो के 'खजाएं-उल-फतूह' से लिया। इतिहासकार एएल श्रीवास्तव के अनुसार 'पद्मावत की वर्णित प्रेम कहानी के ब्योरे की अनेक घटनाएं कल्पित हैं।' खुसरो दरबारी शायर थे। उन्होंने हिंदू को हिरण और तुर्क को सिंह बताया। सुल्तान की क्रूरता बर्बरता और राजपूतों की वीरता पर वह मौन हैं। उन्होंने इतिहास के साथ ईमानदारी नहीं निभाई। मध्यकाल भारत के मूल निवासियों के उत्पीड़न और निरंतर वध की कथा है। अंग्रेजी राज का उत्पीड़न ताजा है। अंग्रेजों के क्रूर शासन, भारतीय संपदा की लूट और उत्पीड़न को भी हम भूल रहे हैं। इतिहास पर लीपापोती वाले महानुभाव यहां विद्वान कहे जाते हैं। खिलजी की बर्बरता और निर्दोषों के वध कैसे भुलाए जा सकते हैं? अलाउद्दीन हिंदुओं की बहुसंख्या से आहत था। उसने बयाना के काजी से मशवरा मांगा और मशवरे का स्वागत भी किया।

सिनेमा लोकलुभावन कला है। फिल्मांकन का उद्देश्य मुनाफे के साथ लोकमंगल और आनंदवर्धन भी होना चाहिए। भारत में शाश्वत मूल्यों व सत्य को सृजन का विषय बनाने की सुदीर्घ परंपरा है। शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा जरूरी है। सांस्कृतिक मर्यादा और शील का संवर्धन प्रत्येक सर्जक का दायित्व है। सृजन शाश्वत और चिरंतन का आधुनिक आख्यान होता है। इतिहास के आदरणीय पात्रों को नृत्य कराना आखिरकार जरूरी क्यों है? इतिहास में कल्पना का घालमेल उचित नहीं होता। तब न इतिहास बचता है और न ही कल्पना। इतिहास विकृत होता है और कल्पना नवसृजन का आह्लाद नहीं देती। फिल्में बनती हैं, आती हैं, जाती हैं। लेकिन इतिहास जस का तस रहता है। उसे परिशुद्ध बनाए रखना जरूरी भी होता है। भारत के इतिहास में अनेक त्रासद खंड हैं और अनेक उल्लास के नायक और महानायक भी। इतिहास का अनुकरणीय भाग संस्कृति है और हम भारत के लोग सांस्कृतिक राष्ट्र हैं और अपनी धरती, अपने लोग शुद्ध इतिहास लोकमंगल प्रतिबद्ध कला और शील आचार ही सांस्कृतिक राष्ट्र के मुख्य घटक हैं।


(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com


# न्यूनतम समर्थन मूल्य का बने कानून




योगेंद्र यादव


**जब तक किसान को फसल का पूरा और नियमित रूप से दाम नहीं मिलेगा तब तक सिर्फ कर्ज माफी का कोई मतलब नहीं है**

आज 20 नवंबर का दिन भारत के किसान आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज देश भर से हजारों किसान दिल्ली के संसद मार्ग पर पहुंच कर 'किसान मुक्ति संसद' का आयोजन करेंगे। यह घटना किसानों की दशा और दिशा को लेकर चल रहे घटनाक्रम में एक नए युग का सूत्रपात कर सकती है। ऐसा नया क्या है इस किसान संसद में? देश में आए दिन किसानों के धरने, प्रदर्शन, संघर्ष के समाचार मिलते रहते हैं। कुछ समय, कुछ जगह उसका हल्ला रहता है, फिर हर कोई भूल जाता है। इन मायनों में यह किसान मुक्ति संसद इन सबसे किस तरह अलग होगी? अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में होने वाली यह किसान मुक्ति संसद एक नहीं, कई मायनों में अनूठी है। सबसे पहले तो 184 किसान संगठनों का एक साथ आना अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। इस समन्वय में देश भर के अलग-अलग वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले किसान संगठन जुड़े हैं। इसलिए इस किसान संसद में असम के किसान आएंगे तो तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल तथा जम्मू के किसान भी मौजूद रहेंगे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसान संगठन एक छतरी के नीचे आए हैं।

इस एकता का एक अनूठा पहलू यह है कि किसानों के हरे झंडे वाले और लाल झंडे वाले संगठन पहली बार एक साथ मंच पर बैठेंगे। आज तक देश का किसान आंदोलन दो धाराओं में बंटा रहा है। किसानी संघर्ष का इतिहास देखें तो एक तरफ महेंद्र सिंह टिकैट, शरद जोशी, नंजूनदास स्वामी जैसे भूस्वामी किसान नेताओं के संगठन हुआ करते थे तो दूसरी ओर वामपंथी नेतृत्व में सीमांत किसान, बटाईदार और खेतिहर मजदूर के संगठन थे। इन दोनों किसान आंदोलनों का एक दूसरे से छत्तीस का आंकड़ा रहता था। पिछले कुछ वर्षों में इसमें पीले और नीले झंडे वाले संगठन भी जुड़ गए हैं-पर्यावरणवादी, दलित किसान संगठन भी अब दिखने लगे हैं। किसान मुक्ति संसद में इन सभी धाराओं का संगम हो रहा है। आज तक किसान संगठनों में महिलाओं की उपस्थिति नगण्यप्राय रही है। हालांकि खेती के कामकाज का 70 प्रतिशत काम महिलाएं करती हैं, लेकिन किसान की छवि और किसानों का नेतृत्व पुरुषों तक सीमित रहा है।

किसान मुक्ति संसद का एक विशिष्ट पहलू यह है कि इसके पहले सत्र में 543 महिला किसान को किसानों के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया जाएगा। यह संसद किसानों के बदलते हुए नेतृत्व का परिचायक होगी। अब धोती, कुर्ते और पगड़ी वाले नेताओं का जमाना बीत गया है।



आज के किसान नेता पैंट-शर्ट पहनते हैं, पढ़ना-लिखना जानते हैं और मोबाइल फोन पर फेसबुक और वाट्सएप्प का प्रयोग भी करते हैं। यह नया किसान नेतृत्व नीति और नियत का भेद जानता है। इसकी आंख में धूल झोंकना आसान नहीं है। यह नया नेतृत्व किसान मुक्ति संसद की दिशा तय कर रहा है। लेकिन किसान मुक्ति संसद की सबसे प्रमुख उपलब्धि है उसका नया एजेंडा। आमतौर पर किसान आंदोलन लंबे मांग पत्र रखते हैं, केवल आलोचना करते हैं और विकल्प सुझाने में असमर्थ रहते हैं। इसके उलट किसान मुक्ति संसद केवल सरकारों और नीतियों की आलोचना नहीं करेगी। इसके सामने दो नए कानून रखे जाएंगे। पहली बार किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक नीतियां और कानून पेश कर रहा है।

किसान मुक्ति संसद के सामने पहला कानून किसानों की आय सुनिश्चित करने से जुड़ा होगा। अब तक सरकार हर साल फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर देती है, लेकिन यह सरकारी कीमत सिर्फ छह प्रतिशत किसानों को ही नसीब हो पाती है। सिर्फ गेंहू और धान में सरकार ठीक से खरीद करती है। कई अन्य फसलों में सरकार बस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर सो जाती है। किसान को यह मूल्य मिल सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस साल खरीफ फसल की बिक्री में किसानों को एक भी फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाया है। अगर सरकारी मंडियों के रेट देखें तो सरकारी भाव न मिलने की वजह से किसानों को 36 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। किसानों का प्रस्ताव यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए। इसे तय करने वाली सरकारी संस्था 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' यानी सीएसीपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए और उसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी बनाई जाएं। किसान की लागत का निर्धारण ठीक से किया जाना चाहिए। उसमें किसान की अपनी मजदूरी और जमीन की लागत भी शामिल की जानी चाहिए। फिर उस लागत में 50 प्रतिशत का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने चाहिए। यह सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने 12 साल पहले की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव से पहले देश के किसानों से यह वादा किया था। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार अपना वादा पूरा करे। जब यह कानूनी अधिकार बन जाएगा तो सरकार को हर किसान को हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जरूरी हो जाएगा।

किसान मुक्ति संसद के सामने दूसरा प्रस्ताव किसानों की पूर्ण ऋण मुक्ति का है। आज देश भर का किसान कर्ज के बोझ से दबा है। कर्ज के कारण ही अधिकांश किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर इस स्थिति से किसान को उबारना है तो उसे एक झटके में सभी किस्म के ऋणों से मुक्त करना होगा- बैंकों का ऋण, सहकारी समिति का ऋण या फिर साहूकार का ऋण। किसान संगठनों की मांग है कि इस पूरे ऋण को एक बार रद कर दिया जाए। साहूकार के ऋण में भी सरकार दखल दे और उसका निपटारा करे। यह दोनों मांगें एक-दूसरे से अलग नहीं है। केवल ऋण मुक्ति से किसान कि समस्या नहीं सुलझेगी। जिसकी आमदनी ही नहीं है उसका कर्जा एक बार माफ करेंगे तो कुछ समय बाद फिर करना पड़ेगा। जब तक किसान को फसल का पूरा और नियमित रूप से दाम न मिलना शुरू न हो जाए तब तक खाली कर्ज माफी का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आय सुनिश्चित करने से भी फायदा नहीं होगा जब तक उसके कर्ज के बोझ को खत्म न किया जाए। अगर ये दोनों प्रस्ताव मान लिए जाएं तो यह किसान के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। सवाल यह है कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा करने वाली यह सरकार उनकी इस न्यूनतम मांग पर ध्यान देगी भी या नहीं? या फिर किसानों को संघर्ष का रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा।


(लेखक स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com


## ऊर्जा

### कुंठा के पार

स्वप्न देखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। प्रायः वह अपनी क्षमता और स्थिति का भली-भांति आकलन किए बगैर चंचल मन के वशीभूत होकर विविध आकांक्षाओं अथवा कपोल-कल्पित योजनाओं को पूरा करने का स्वप्न देखता रहता है। जब किसी व्यक्ति के मन में कुछ पाने की तीव्र उत्कंठा हो, परंतु उसे प्राप्त करने की शक्ति अथवा परिस्थिति न हो अथवा प्रारब्ध आदि कारणों से उसकी इच्छा अपूर्ण रह जाए तब मन के भीतर जिस घुटन, बेचैनी या झुंझलाहट का आगाज होता है, वही कुंठा कहलाती है। यह विफलता के कारण मन में उत्पन्न होने वाली घोर निराशा ही है। अधिकांशतः आर्थिक प्रतिस्पर्धा, मान-सम्मान पाने की अत्यधिक लालसा, परीक्षा में असफलता, युवाओं में प्रेम-प्रसंगों की विफलता आदि असह्य परिस्थितियां हमें कुंठित जीवन जीने के लिए विवश कर देती हैं। शरीर की एड्रीनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित एड्रीनलीन हॉर्मोन से तमाम असामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। एकांतप्रियता, गुमसुम रहना और नकारात्मक विचारों की प्रधानता व्यक्तित्व को बंधक बना लेती है। अनिद्रा के साथ ही मधुमेह, उच्च रक्त चाप जैसी खतरनाक बीमारियों के सक्रिय होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुंठा की चरमावस्था में आत्महत्या जैसे कुत्सित विचार भी मन को उद्वेलित कर सकते हैं।

जीवन प्रकृति की अनुपम भेंट है। 'गीता' में श्रीकृष्ण ने कहा है-तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए लक्ष्य-पूर्ति के लिए किए गए संघर्ष को जीवन की सहज प्रक्रिया मानकर अंगीकार करें और सदैव समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाएं। सपनों से नाता न तोड़ें, अन्यथा जीवन नीरस हो जाएगा, परंतु अपनी आकांक्षाओं को सीमित कर क्षमताओं की सीमा का अतिक्रमण कदापि न होने दें। कुंठा जीवन की प्रबल शत्रु है। मनोवैज्ञानिक शोधों से खुलासा हुआ है कि कुंठा से व्यक्ति की उपलब्धियों, गुणों और प्रतिभा का ह्रास होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और निराशा से बचें। समुचित शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक और संतुलित आहार, नियमित व संयमित दिनचर्या और योगाभ्यास को अपनाकर कुंठा से काफी हद तक बचा जा सकता है। साथ ही सैर-सपाटे पर जाएं। प्रकृति के साथ समय बिताएं।

डॉ. मुमुक्षु दीक्षित

## पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

### मूडीज की रेटिंग का प्रभाव

सुधारों के सिलसिले को समर्थन शीर्षक से लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने मोदी सरकार के आर्थिक सुधारों पर मुहर लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की हालिया रिपोर्ट को जीएसटी और नोटबंदी को लेकर विपक्षी आलोचनाओं की शिकार हो रही भाजपा के लिए उत्साहजनक जरूर बताया है, लेकिन मूडीज की रेटिंग पर उठाई जा रही यह आपत्ति भाजपा के उत्साह को ठंडा कर सकती है, क्योंकि मूडीज ने संगठित क्षेत्र के डाटा को ही अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित किया है, असंगठित क्षेत्र में जीएसटी और नोटबंदी का क्या असर रहा इस पर गौर नहीं किया गया। इसके साथ ही भाजपा को इस सवाल का भी जबाब देना होगा कि नोटबंदी और जीएसटी से आम आदमी और व्यापारी वर्ग जिस तरह से परेशान हुआ है, क्या उसकी भरपाई मूडीज की इस रेटिंग से संभव है? माना कि किसी भी बड़े सुधार को मूर्त रूप देने में सभी वर्गों को संतुष्ट कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। बावजूद इसके बड़े सुधारों के मद्देनजर देश की उस आम जनता का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है, जिसकी देश की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक हिस्सेदारी है। फिलहाल यदि मूडीज की रेटिंग के प्रभाव की बात करें तो इससे मोदी सरकार की शान में इजाफा तो हुआ ही है, लेकिन दूसरी ओर जीएसटी और नोटबंदी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेय बताने वाली कांग्रेस के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि अब उसकी यह जवाबदेही बन जाएगी कि आखिर जाने-माने अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के दस वर्षीय शासनकाल में देश के अंदर इस तरह का आर्थिक सुधार क्यों नहीं हुआ?

डॉ. विष्णु प्रकाश पाण्डेय, अलीगढ़

### तथ्यपरक लेख

तसलीमा नसरीन का 18 नवंबर को प्रकाशित लेख, बांग्लादेश में कैसे बचेंगे हिन्दू, पढ़ा। निःसंदेह यह सत्य है कि अनेक विपदाओं में जीने को विवश हिंदुओं को विलुप्त करने के षड्यंत्र बांग्लादेश में भी किए जा रहे हैं। लेख का अधिकांश भाग अत्यंत स्पष्ट व तथ्यपरक है। इस्लामिक जिहादियों की मानसिकता पर प्रहार भी करता है। परन्तु उनका यह लिखना कि जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है उसी प्रकार भारत में मुस्लिम विरोधी हिंदुओं की संख्या भी बढ़ रही है, उचित नहीं है। सर्वविदित है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, परंतु सनातन वैदिक धर्म पर आधारित हिंदू संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती है।

विनोद कुमार सर्वोदय, गाजियाबाद

### दबाव का खेल

पद्मावती की विशेष स्क्रीनिंग से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख ने फिल्म के निर्माताओं की आलोचना की है। उनको नियमों का पालन करना चाहिए। मनमाना व्यवहार करके वे क्या साबित करना चाहते हैं? मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करना गलत है। ऐसे कारणों से फिल्म और ही विवादों में घिर रही है। विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म देखने के बाद लोगों ने पद्मावती के समर्थन में विचार व्यक्त किए हैं। मतलब इस फिल्म के समर्थन में विचार फैलाने के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन किया था।

amitpadiyar8183@gmail.com

### रैंकिंग में सुधार

मूडीज द्वारा 13 साल बाद भारत की रैंकिंग में सुधार किया जाना उत्साह वर्धक खबर है। भारत को बीएए3 से बीएए2 श्रेणी में रखा गया है। 2017-18 की जीडीपी अनुमानत 6.7 प्रतिशत बताई गयी है। 2018-19 का अनुमान 7.5 प्रतिशत है। इससे भारत में कारोबार करना सुगम हो जाएगा। दूसरे देशों से आर्थिक सहयोग आसानी से प्राप्त हो सकेगा।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

### फिल्म पद्मावती का विरोध

आज जायसी होते तो क्या सोचते नामक शीर्षक से प्रकाशित लेख में कृपाशंकर चौबे ने पद्मावती फिल्म पर उठ रहे सवालों के जवाबों को बखूबी विस्तार से लिखा। सभी संशयों को दूर भी किया। जायसी, रसखान और रहीम जिन्होंने अपने धर्म को तवज्जो न देकर हिंदू धर्म का इतना अच्छा व्याख्यान किया है। उन्होंने हिंदू -मुस्लिम नहीं मानवता को तवज्जो दी है। आज ऐसा करना खुद कुएं में कूदने जैसा है। रामचरित मानस के बाद अवधी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाने वाला महाकाव्य था पदमावत। ये कहानी रानी पद्मिनी और उनकी खूबसूरती के चर्चे सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर किए आक्रमण की कहानी है, जो कि जायसी की एक कल्पना से भरी एक रचना थी। उस कल्पना का विरोध जमकर हो रहा है। इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं तभी तो योगी आदित्यनाथ और लालू प्रसाद अपना मत करणी सेना का साथ देकर कर रहे हैं। इस आग को भड़काने का काम करणी सेना खुलेआम कर रही है। जितने भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्या उन्होंने पद्मावती फिल्म देख ली है? क्या उन्हें पता है कि कौन सा ऐसा दृश्य व संवाद है जो समाज को अपमानित करा रहा है? यहां स्थिति पीके के समान पैदा हो गई है। पीके पर भी आरोप लगे थे कि उसने सभी धर्मों के सम्मान को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन इसके रिलीज होने के बाद 2014 की सबसे हिट और चर्चित फिल्मों में से एक रही। पद्मावती हिट होगी या नहीं यह तो रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। रिलीज होगी या नहीं यह भी कोर्ट तय करेगा और हमें हमारे न्यायालय व कानून का सम्मान करना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि जानबूझकर फिल्म पर विवाद पैदा किया गया, क्योंकि विवादित फिल्में ही ज्यादा कमाई करती हैं।

कोमल, दिल्ली विवि, दिल्ली

## ट्वीट-ट्वीट

जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को टॉम मूडी और मूडीज के बीच का अंतर ही नहीं पता, वे खुद को मार्क्स के चेले बताकर अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा ज्ञान बघारते हैं।

रोहित सरदाना@sardanarohit

पश्चिमोत्तर भारत को स्मॉग ने जितनी जल्दी अपनी जद में लिया, उतनी ही जल्दी विदा भी हो गया। शायद इसके मौसमी कारणों का विस्तार भारत से भी परे हो। इस पर उचित शोध की दरकार है, क्योंकि इसकी वजह से स्कूल बंद करने सरीखे फैसलों से राजधानी की ही बदनामी होती है।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney



प्रिय मानुषी छिल्लर, 17 साल बाद विश्व सुंदरी का ताज भारत वापस लाने के लिए शुक्रिया। विशेषकर मां को लेकर दिए जवाब के लिए धन्यवाद। बधाई, पूरा भारत आपका प्रेम और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए बेताब है।

अनुपम खेर@AnupamPkher

मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी पद के नौ हजार पदों के लिए आवेदन फॉर्म बेचकर अब तक करीब 57 करोड़ रुपये जमा कर लिए। यह सिलसिला देश के प्रत्येक राज्य में जारी है। बेरोजगारों से ही करोड़ों-अरबों रुपये आवेदन शुल्क के नाम पर जमा कराए जा रहे हैं।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

## जनपथ

सुंदरता का शिखर फिर चूमा हिंदुस्तान,
हरियाणा की मानुषी बढ़ा रही हैं मान।
बढ़ा रही हैं मान बिखेरे अपना जलवा,
ये परियों का देश चूमते सब हैं तलवा।
जिसका मन हो पाक विश्व उसको है वरता,
हों गर अच्छे भाव निखरती है सुंदरता।

– ओमप्रकाश तिवारी


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।